



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ 4( ) परावि/पीसी/निरायो/बजट/2013-14/144

जयपुर, दिनांक : 1/10/2014

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 30/2014-15)

विभागीय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 18/2014.15 दिनांक 1.9.2014 एवं वित्त (आय-व्यय अनुभाग) विभाग की स्वीकृति संख्या 238/2014-15 एवं क्रमांक प.4(253)वित्त-1(1)आ.व्यय/2012 दिनांक 3.9.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपविकास आयुक्त, पंचायती राज विभाग, मुख्यालय के पी.डी. खातों में राशि रूपये 29,95,68,000/- (अक्षरे राशि रु. उनतीस करोड़ पिचानवे लाख अडसठ हजार मात्र) जमा की गई है। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331400417 दिनांक 07.08.2014 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायती राज विभाग, जयपुर को उपरोक्त राशि Rajasthan Council of Primary Education (SSA) Jaipur को बैंकिंग चैनल (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से हस्तान्तरण कराने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त राशि ग्रामीण विद्यालयों के शौचालयों के रख-रखाव हेतु व्यय की जावेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति हेतु प्रावधित राशि एवं महिलाओं एवं बालिकाओं पर व्यय हेतु जेण्डर बजट हेतु प्रावधित 48 प्रतिशत राशि का व्यय इन वर्गों के कल्याणार्थ किया जावेगा। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है :-

| बजट मद :- 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम  |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 196 - जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  |   |  |   |
| मांग सं. 41   | मांग सं. 30   | मांग सं. 51  | योग<br>(राशि लाखों में)                           |
| (16) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष<br>[02]- कार्यकलाप/ गतिविधियां<br>12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना | (16)-पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष<br>[02]-कार्यकलाप / गतिविधियां<br>12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना | (17)-पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष<br>[02]-कार्यकलाप/ गतिविधियां<br>12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना |   |
| 342.38  | 12.08   | 48.34  | 402.80  |
| अक्षरे राशि रु. तीन करोड़ बियालीस लाख अडतीस हजार मात्र  | अक्षरे राशि रु. बारह लाख आठ हजार मात्र  | अक्षरे राशि रु. अडतालीस लाख चोतीस हजार मात्र   | अक्षरे राशि रु. चार करोड़ दो लाख अस्सी हजार मात्र |

| बजट मद :- 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता   |   |  |   |
| मांग सं. 41   | मांग सं. 30   | मांग सं. 51  | योग<br>(राशि लाखों में)                           |
| (10) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष<br>[02]- कार्यकलाप/ गतिविधियां<br>12 - सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना | (11) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष<br>[02] - कार्यकलाप / गतिविधियां<br>12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना | (12) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष<br>[02]-कार्यकलाप/ गतिविधियां<br>12 - सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना |   |
| 564.98  | 19.94   | 79.76  | 664.68  |
| अक्षरे राशि रु. पांच करोड़ चौसठ लाख अठानवे हजार मात्र   | अक्षरे राशि रु. उन्नीस लाख चौरानवे हजार मात्र   | अक्षरे राशि रु. उनवासी लाख छियतर हजार मात्र  | अक्षरे राशि रु. छः करोड़ चौसठ लाख अडसठ हजार मात्र |

बजट मद :- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

198 -ग्राम पंचायतों को सहायता

| मांग सं. 41  | मांग सं. 30   | मांग सं. 51   | योग<br>(राशि लाखों में)                                |
|--|---|---|--|
| (22) - पंचायती राज संस्थाओं के लिए निबन्ध विकास कोष [02]-कार्यकलाप/ गतिविधियां 12-सहायता अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना | (23) - पंचायती राज संस्थाओं के लिए निबन्ध विकास कोष [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायता अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना | (24) - पंचायती राज संस्थाओं के लिए निबन्ध विकास कोष [02]-कार्यकलाप / गतिविधियां 12-सहायता अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना |  |
| 1638.97  | 57.85   | 231.38  | 1928.20  |
| अक्षरे राशि रु. सीलह करोड अडतीस लाख सतानवे हजार मात्र  | अक्षरे राशि रु. सतानव लाख पिचासी हजार मात्र   | अक्षरे राशि रु. दो करोड ईकतीस लाख अडतीस हजार मात्र  | अक्षरे राशि रु. उन्नीस करोड अदुवाईस लाख बीस हजार मात्र |
|  |   | कुल योग   | 2995.68  |

(अक्षरे राशि रु. उनतीस करोड़ पिचानवे लाख अडसठ हजार मात्र)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायती राज विभाग, को प्रेषित कर अनुरोध है कि राशि रु. 2995.68 लाख Rajasthan Council of Primary Education (SSA) Jaipur एस.बी.बी.जे. बैंक की डॉ. राधाकृष्ण शिक्षा संकुल भवन, ब्लॉक नं.-1, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर शाखा की खाता संख्या 51088903909, आई.एफ.एस.सी. कोड SBBJ0010847 एवं ब्रान्च कोड 10847 में बैंकिंग चैनल (आर. टी.जी.एस.) के माध्यम से हस्तान्तरण कराने का श्रम करावें।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
7. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, द्वितीय तल, ब्लॉक-5, डॉ. एस.राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर।
8. प्रोग्रामर मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. लेखा, सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन शाखा, मुख्यालय/रक्षित पत्रावली।

अधिशोषी अभियन्ता (प्रो.)